न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 86 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. करनाराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 40 वर्ष **बनाम** राजस्थान राज्य जरिये
2. भीमाराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 35 वर्ष तहसीलदार गुड़ामालानी।
   जाति भील निवासी पादरड़ी पटवार
   मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील
   गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 10/2017 बअनवान करनाराम वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रमेश मंगल अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा मनजी पुत्र बशराम जाति भील निवासी पादरड़ी के नाम की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा पादरड़ी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान में खेत **खसरा संख्या 267 रकबा 26 बीघा** आराजी दोयम की स्थित है जिस पर सैटलमेंट से पूर्व अपीलांट के परदादा वशराम का कब्जा काश्त था और वशराम के फोत होने पर वशराम के पुत्र मनजी उर्फ मजीड़ा के नाम खातेदारी में दर्ज की गई लेकिन ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान द्वारा **दिनांक 24.09.1978 को नामान्तरकरण संख्या 245** के जरिये अपीलांट के दादा मनजी का नाम **हटाकर सरकार** के खाते में दर्ज कर दी गई जबकि सैटलमेंट से लगाकर आज दिन तक अपीलांट के दादा व अपीलांट का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट की ढाणी, टांका व बाड़े ईत्यादि भी बने हुए है तथा रहवास भी है। दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत शिविर में अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय सुनया नहीं गया तथा खाली ऑर्डरशीट पर ही अपीलांट के हस्ताक्षर करवा दिये तथा वह बाद में जानकारी चाही गई तब पता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लगा की दावा खारिज हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त व रहवासी ढाणी, टांका आदि बने हुए है। वादग्रस्त आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी, उस मौका रिपोर्ट में कब्जा काश्त साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमा से बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए विधि के प्रतिकूल निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी मनजी पुत्र वंशा की खातेदारी की भूमि थी जिसे माननीय जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार नामान्तरण संख्या 245 द्वारा सिवायचक दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट अपना वाद साबित नहीं कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण के जबाव की प्रास्थिति (Stage) पर थी जिसे बाद में राजस्व लोक अदालत शिविर कोर्ट केम्प सिंधासवा हरनियान में रखा गया। उस रोज दावे में जबावदावा लिया जाना अपेक्षित था लेकिन प्रतिवादी पक्ष का जबावदावा लिये बिना एवं बिना तनकीयात कायम किये फैसला कर दिया। इससे वादी पक्ष को अपने वाद को साबित कराने हेतु साक्ष्य/सबूत का भी अवसर नहीं मिला। यह निर्णय विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिना साक्ष्य/सबूत अनुमानों पर फैसला कर दिया गया। वादी को अपना वाद सिद्ध करने हेतु उसे साक्ष्य/सबूत प्रस्तुति का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय को उन तथ्यों पर भी गौर करके उन्हें प्रतिवादी पक्ष की तरफ से रिकॉर्ड पर लेना चाहिए कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आराजी का आवंटन किन कारणों से जिला कलक्टर द्वारा खारिज किया जो जरिये नामान्तरण संख्या 245 सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज हुई। उपरोक्त समग्र विवेचन के आलोक में अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2017 बअनवान करनाराम वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में वाद में जबाव लेकर बाद तनकी कायम उभयपक्ष को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुति का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें।

6/5/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner